दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 26-07-2025

फैसला • हाई कोर्ट ने कहा- सबूत नाकाफी हैं, पीड़िता के नाबालिग होने का ठोस प्रमाण नहीं

आई लव यू... कहने पर दर्ज किया था पॉक्सो का केस, बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील खारिज

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

पॉक्सो, एससी/एसटी और आईपीसी की धाराओं में आरोपी को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 15 साल की नाबालिग लड़की ने एक युवक पर पीछा करने, अश्लील टिप्पणियां और आई लव यू कहकर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया था, इसके खिलाफ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की थी। जस्टिस संजय एस अग्रवाल की सिंगल बेंच ने इसे खारिज कर दिया है।

पीड़िता ने कुरुद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि स्कूल से लौटते वक्त आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की और पहले भी कई बार उसे परेशान करता था। उस पर टिप्पणियां करने के साथ उसे आई लव यू बोला। पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354-डी, 509, पॉक्सो एक्ट की धारा 8 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(va) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। धमतरी के स्पेशल कोर्ट ने 27 मई 2022 को आरोपी को सभी धाराओं से बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने अपील की थी।

तर्क - पॉक्सो एक्ट के तहत जुर्म नहीं

आरोपी की ओर से अधिवक्ता शोभित कोष्टा ने कहा कि लड़की के नाबालिग होने का कोई ठोस सबूत कोर्ट में पेश नहीं किया गया। उसके जन्म प्रमाण पत्र की न तो मूल प्रति दी गई और न ही कोई गवाह पेश किया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ आई लव यू कहना, बिना दुर्व्यवहार या संपर्क के पॉक्सो एक्ट या आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत अपराध नहीं बनता।

छेड़छाड़ या अश्लील हरकत का सबूत नहीं: हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने सबूतों और दस्तावेजों को देखने के बाद कहा कि पीड़िता के नाबालिग होने का स्पष्ट और प्रमाणिक साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं है। पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि आरोपी ने केवल एक बार आई लव यू कहा और उसके बाद किसी प्रकार की अश्लील हरकत या बार-बार पीछा करने का कोई सबूत नहीं है। पीड़िता की सहेलियां या माता-पिता भी ऐसे किसी आरोप की पुष्टि नहीं करते। इस आधार पर ऐसा कुछ नहीं है, जिससे साबित हो सके कि आरोपी ने पीड़िता के साथ यौन उद्देश्य या जातिगत विद्वेष से अपराध किया हो।

राज्य सरकार ने कहा- एक्ट के तहत गंभीर अपराध

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की अनदेखी की। पीड़िता के जन्म प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उसकी जन्मतिथि 29 नवंबर 2004 दर्ज है, जिससे वह घटना की तारीख को नाबालिग साबित होती है। आरोपी जानबूझकर अनुसूचित जाति वर्ग की लड़की को निशाना बना रहा था, जो एट्रोसिटी एक्ट के तहत गंभीर अपराध है।